



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवीकर गैर इरादतन हत्या व साक्ष्य छुपाने के अभियोग में 06 अभियुक्तगण को क्रमशः 07-07 व 03-03 वर्ष के कारावास तथा ₹42,000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना ललपुरा में पंजीकृत मु०अ०सं० 60/2017 धारा-304,201 भा०द०सं० में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय जिला/सत्र न्यायाधीश जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1. संजय विश्वकर्मा पुत्र कन्हैया लाल नि० जमालपुर थाना सजेती जनपद कानपुर नगर 2. अउवा उर्फ बउवा पुत्र किशनबाबू चौरसिया नि० निवादा थाना बिंवार हमीरपुर 3. गुड्डू पुत्र जगरूप नि० धीरपुर थाना सजेती जनपद कानपुर नगर को धारा 304/34 भा०द०सं० में दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक को 07-07 वर्ष के कारावास व ₹36,000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया। 4. गंगाराम पुत्र त्रिलोकी प्रसाद नि० देवराहट थाना देवराहट कानपुर नगर 5. महेन्द्र पुत्र शिवसागर नि० महरौली थाना घाटमपुर कानपुर नगर 6. सर्वेश पुत्र शिवकुमार यादव नि० गोहरारी थाना चांदपुर जनपद फतेहपुर को धारा 201 भा०द०सं० में दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक को 03-03 वर्ष के कारावास व ₹6,000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-  
डीजीसी श्री राजेश कुमार  
शुक्ला



विवेचक-  
निरी० प्रदीप कुमार  
यादव



पैरोकार- थाना ललपुरा  
हे०का० धर्मेन्द्र मिश्रा